(152)

न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर
खण्डपीठ न्यायालय रीवा, जिला–रीवा (म0प्र0)

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
विलोपित / विलोपित

श्री नीतेश तिवारी एड. द्वारा पेश 2-8-14

क्लर्क
राजस्व मण्डल
(सर्किट कोर्ट)

R-3100-IV/14

429
2-8-14

श्रीमती जानकी देवी पत्नी श्री वंशराखन तिवारी उम्र–50 वर्ष, पेशा गृहकार्य, निवासी क्वाटर नम्बर एम.क्यू.409 एन.सी.एल. अमलोरी परियोजना कालोनी सिंगरौली जिला–सिंगरौली (म0प्र0) ————————निगरानीकर्ता

बनाम

मध्यप्रदेश शासन ————————गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील सिंगरौली म.प्र. द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 40 / अ–3 / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 15.12.2012 के माध्यम से ग्राम नौगढ़ की आराजी खसरा क्रमांक 825 / 3 ग रकवा 0.14 हे0 को नाला में दर्शित किये जाने की पुष्टि की गई है को अपास्त किये जाने बाबत् ।

निगरानी अन्तर्गत धारा–50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

3-9-14

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

अ– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम नौगढ़ तहसील सिंगरौली जिला–सिंगरौली की आराजी खसरा क्रमांक 825 / 3 रकवा 0.55 हे0, 838 / 3 रकवा 0.03 हे0, 840 / 3 रकवा 0.04 हे0, 886 / 3 रकवा 0.03 हे0, 899 / 3 रकवा 0.03 हे0, 901 / 3 रकवा 0.03 हे0, 908 / 3 रकवा

(152)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R. 3100 – दो/14 जिला– सिंगरौली

श्रीमती जानकी देवी तिवारी विरूद्ध शासन (म.प्र.)

(1)	(2)	(3)
19.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री नितिन तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ ~~नायब तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक~~, तहसील सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 40/अ-3/12-13 में पारित आदेश दिनांक 15.12.12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.3.19 को कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	